रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

भाग-संख्या–203 (ख)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2014

भाद्रपद 27, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

संख्या 822 / चालीस–14-27(75)-84

लखनऊ, 18 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

सा०प०नि०–64

संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और सम्बन्धित विषय पर समस्त विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्यरत मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी को अनुदान की स्वीकृति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ तदर्थ अनुदान नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

1–(1) यह नियमावली मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ तदर्थ अनुदान नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुदान के उद्देश्य

2–अनुदान राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और आपसी भाई–चारा के संवर्धन एवं निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वीकृत किया जायेगा :–

(क) मौलाना अबुल कलाम आजाद के आदर्शों एवं जीवनचरित का प्रचार व प्रसार करना;

(ख) मौलाना आजाद के सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक विचारों तथा उनके योगदान पर आधारित साहित्य प्रकाशित करना;

(ग) मौलाना आजाद द्वारा उर्दू में लिखित पुस्तकों, लेखों आदि का हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद करना;

(घ) मौलाना आजाद के जीवन एवं कार्यों पर शोध–पत्रों का प्रकाशन करना एवं उन्हें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध कराना;

(ङ) मौलाना आजाद के ऊपर कम से कम 40 पृष्ठों का 'मासिक जर्नल' प्रकाशित करना एवं उसे शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों तथा अनुसंधानविदों में वितरित करना;

(च) मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी में स्थापित पुस्तकालय एवं वाचनालय के लिये प्रतिवर्ष आवश्यक एवं अपेक्षित पुस्तकों, समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं आदि को क्रय करना;

(छ) राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं आपसी भाई–चारा के संवर्धन के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।

तदर्थ अनुदान की धनराशि

3–मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को प्रतिवर्ष एकमुश्त अथवा किस्तों में, जैसा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाय, अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। अनुदान की धनराशि राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगी और वह समय–समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

संस्था का निरीक्षण

4–(1) अकादमी द्वारा प्रतिमाह आय एवं व्यय का मासिक विवरण आगामी माह की दस तारीख तक जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रस्तुत किया जायेगा जो सम्यक परीक्षणोपरान्त अपनी टिप्पणी सहित उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(2) संस्था के कार्यकलापों का मासिक निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा किसी अपर जिलाधिकारी अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जा सकता है तथा निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी के अभिमत के साथ राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

संस्था का लेखा–परीक्षण

5–संस्था अपना लेखा–परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा करायेगी परन्तु यदि राज्य सरकार उचित समझे तो वह अकादमी के लेखों का लेखा-परीक्षण किसी सरकारी अभिकरण से करवा सकता है।

अनुदान का उपयोग

6–राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग अकादमी द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा :–

(क) समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं आदि का क्रय;

(ख) कार्यालय लेखन–सामग्री के क्रय और कार्यालय के अनुरक्षण;

(ग) "मासिक जर्नल" के प्रकाशन पर व्यय;

(घ) पुस्तकालय एवं वाचनालय के लिये पुस्तकों आदि का क्रय;

(ङ) प्रस्तर–2(क) से (छ) तक में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए;

उपरोक्त मदों के अतिरिक्त किसी अन्य मदों पर होने वाला व्यय अकादमी द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा।

तदर्थ अनुदान के लिए शर्तें

7–तदर्थ अनुदान के प्रयोजनों के लिये अकादमी निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी :–

(क) अनुदान प्राप्ति के उपरान्त, उसका उपयोग एवं सम्बन्धित कार्य का निष्पादन निर्धारित समय में किया जायेगा;

(ख) अकादमी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा जिसका परिचालन अकादमी के दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा;

(ग) शासकीय अनुदान से कोई अचल सम्पत्ति क्रय नहीं की जायेगी;

(घ) अनुदान की धनराशि का उपयोग निजी/व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा;

(ङ) केवल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रयोजनों के लिये ही अनुदान का उपयोग किया जायेगा;

(च) अनुदान स्वीकृति के पूर्व अथवा पश्चात् सक्षम अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना अकादमी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी;

(छ) संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत होनी चाहिये तथा समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण होना चाहिए;

(ज) संस्था की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन विहित समय पर होना चाहिये तथा अनुदान की स्वीकृति के समय अकादमी कार्यशील रहनी चाहिए।

आवेदन का प्रस्तुतीकरण

8—संस्था अपना आवेदन-पत्र निम्नलिखित अभिलेखों के साथ जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से उसकी टिप्पणी/आख्या एवं अनुदान के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी :—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रतिलिपि, जो अद्यतन/नवीकृत हो;

(ख) अकादमी के संविधान एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति;

(ग) प्रबन्ध समिति के सदस्यों का पूर्ण विवरण;

(घ) गत तीन वर्षों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट;

(ङ) गत तीन वर्षों की प्राप्तियों एवं व्यय का पूर्ण विवरण;

(च) उन कार्यों के मदों का पूर्ण विवरण जिनके लिए अनुदान मांगा जा रहा है;

(छ) अकादमी द्वारा प्रकाशित अद्यावधिक मासिक जर्नल की प्रति।

अनुदान का भुगतान

9—मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान का भुगतान जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा। अकादमी को स्वीकृत अनुदान की धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कोषागार से किया जायेगा तथा अकादमी को भुगतान किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य मदों/प्रयोजनों पर होने वाले व्यय का वहन अकादमी अपने निजी स्रोतों से करेगी। कोषागार से धनराशि के आहरण के उपरान्त आहरण का दिनांक, वाउचर संख्या तथा अकादमी को भुगतान किये जाने के दिनांक से राज्य सरकार को समय से अवगत कराया जायेगा।

अनुदान का निरस्तीकरण

10—राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत करते समय विहित नियमों/निर्देशों या शर्तों का उल्लंघन करने, अनुदान का दुरुपयोग करने, धनराशि का अनुचित रूप से उपयोग करने एवं चिन्हित मद के अतिरिक्त किसी अन्य मद, जिसके लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त न की गई हो, पर धनराशि व्यय किये जाने की स्थिति में अकादमी को स्वीकृत अनुदान बन्द/निरस्त कर दी जायेगी तथा भविष्य में अकादमी को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उल्लंघन और अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन का विनिश्चय बाध्यकारी होगा। सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी विशिष्ट वर्ष/वर्षों में अनुदान स्वीकृत न करे और विसंगतियों/आपत्तियों के समाप्त हो जाने पर भविष्य में अनुदान को पुनः प्रारम्भ कर दे।

आज्ञा से,
अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 822/XL-14-27(75)-84, dated September 18, 2014:

No. 822/XL-14-27(75)-84

Dated Lucknow, September 18, 2014

IN exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution and in supersession of all existing orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules to regulate sanction of grant to Maulana Azad Memorial Academy working in cause of National Integration.

AD-HOC GRANT TO MAULANA AZAD MEMORIAL ACADEMY, LUCKNOW RULES, 2014

Short title and Commencement

1. (1) These rules will be called as "Ad-hoc Grant to Maulana Azad Memorial Academy, Lucknow Rules, 2014."

(2) They shall come into force with effect from date of publication to the *Gazatte*.

Aims of Grant

2. Grant may be sanctioned to promote national integration, communal harmony and mutual brotherhood and for fulfilment of the following objectives;

(a) to propogate the ideals and life-sketch of Maulana Abul Kalam Azad;

(b) to publish literature, based on social, literary, cultural, academic and political thoughts and contribution of Maulana Azad;

(c) to translate in Hindi and in other languages the books, articles *etc.* written by Maulana Azad in Urdu;

(d) to publish research papers on life and works of Maulana Azad and to make them available to universities, colleges and other educational institutions;

(e) to publish "Monthly Journal" of atleast 40 pages on Maulana Azad and to distribute the same amidst the educational institutions, libraries and research scholars;

(f) to purchase every year the essential and requisite books, news-papers, magazines *etc.* for library and reading room, established in Maulana Azad Memorial Academy,

(g) to organise literary, cultural and social programmes and debates for promotion of national integration, communal harmony and brotherhood.

Amount of Ad-hoc grant

3. Grant may be sanctioned to the Maulana Azad Memorial Academy, Lucknow in a year either in lumpsum or in instalments, as may be deemed fit by the State Government. The amount of the grant will depend on the discretion of the State Government, and it may be decreased or increased from time to time.

Inspection of Institution

4. (1) Monthly statement of income and expenditure shall be submitted by the Academy by the 10th day of following month to the District Magistrate, Lucknow, who will, after careful examination, submit to the State Government with his comments.

(2) an Additonal District Magistrate or an equivalent officer may be authorized by the District Magistrate, Lucknow for quarterly inspection of the institution and the inspection note, with the comments of the District Magistrate, shall be made available to the State Goverment.

Audit of Institution

5. The Academy shall get its accounts audited through any recognized Charterd Accountant, but if the State Government deems it proper, it may get audited by a Government Agency.

Utilization of Grant

6. The grant awarded by the State Government will be utilized by the Academy, in general, for the following purposes :-

(a) purchase of newspapers, magazines *etc*;

(b) purchase of office stationery and maintenance of office;

(c) expenditure on publication of "Monthly Journal";

(d) purchase of books *etc.* for library and reading room, and

(e) fulfilment of objectives mentioned in para 2(a) to (g).

Expenditure on any head other than above will be borne by the Academy through its own resources.

Condition for Ad-hoc grant:

7. For the purposes of ad-hoc, grant, the Academy will ensure compliance of the following conditions:–

(a) after receipt of grant, the same shall be utilised and related works will be completed within the stipulated period;

(b) an account shall be opened in the name of the Academy in any Nationalised Bank which will be operated under the joint signatures of two office bearers of the Academy;

(c) no immovable property will be purchased out of Government grant;

(d) the grant will not be utilized for private/personal works;

(e) the grant will be used only for the purpose for which it has been sanctioned by the State Government.

(f) the required information sought by the State Government or competent authority, before or after sanction of grant, will be made available by the Academy;

(g) the Academy is to be registered under Societies Registration Act, 1860 and its registration is to be renewed from time to time; and

(h) election of Managing Committee of the Institution will have to be undertaken at the prescribed time and, at the time of sanction of grant, the Academy should be functional.

Submission of Application

8. The institution shall submit its application to the State Government along with following documents through the District Magistrate, Lucknow together with his note/report and clear recommendation relating to grant:

(a) certified/attested copy of uptodate/renewal registration certificate;

(b) copy of Constitution of the Academy and related documents;

(c) full details of members of Managing Committee;

(d) audit report of last three years.

(e) full details of receipts and expenditure for the last three years;

(f) full details of the items of work for which grant is being sought;

(g) copies of uptodate monthly journals, published by the Academy;

Payment of grant:

9. Payment of grant will be made to Maulana Azad Memorial Academy, Lucknow through the District Magistrate, Lucknow. The amount of grant sanctioned to the Academy will be withdrawn from the Treasury by the District Magistrate, Lucknow and will be paid to the Academy. Besides the purposes for which Government grant has been sanctioned, expenditure, on other heads/purposes will be borne by the Academy. After drawal of grant from the Treasury, the date of drawal, voucher number and the date of payment to the Academy will be intimated to the State Government well in time.

Cancellation of grant:

10. In case of violation of any of the Government rules/deviation or the conditions prescribed, at time of sanction of grant by the State Government, or in case of misuse of grant or use of amount unjustifiedly or for purpose other than earmarked item of work for which no prior permission has been obtained from the State Government, the grant to the Academy will be discontinued/cancelled and no grant will be sanctioned to the Academy, in future. The decision of the Government with regard to the violation and follow up action will be binding. Government has full right not to sanction the grant in any particular year/years and to restart the grant in future years on removal of anomalies/objections.

By order,
ARVIND NARAIN MISRA,
Sachiv

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 324 राजपत्र (हि०)–2014–(846)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० राष्ट्रीय एकीकरण–2014–(847)–250 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

संख्या-404/2024//001-27-75-84टी०सी०-1

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान की धनराशि की प्रथम किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-940/एकीकरण/2024-25, दिनांक 25-07-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव और आपसी भाईचारा के सम्वर्धन हेतु मौलाना आजाद साहित्य से सम्बन्धित उर्दू, वाचनालय, प्रालेख्य केन्द्र की स्थापना, धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षण के लिए ठोस प्रयास करने, विचार गोष्ठियों का आयोजन करने आदि कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किस्त के रूप में रूपये 7,50,000/ (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की अनुदान की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दि0 04 मार्च, 2024 में निहित व्यवस्था के अनुसार अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की अधिसूचना संख्या-822/चालीस-14-27(75)/84, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत नियमावली में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अकादमी नियमावली में उल्लिखित अनुदान की शर्तों का पालन कर रही है। इस हेतु वित विभाग के संगत नियमो/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान का भुगतान जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए उक्त संस्था को स्थापित किया गया है, उनकी पूर्ति हो।

(3) संस्था को स्वीकृत की जा रही अनुदान की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ कोषागार से आहरित करेंगे तथा संस्था को धनराशि भुगतान करने से पूर्व संस्था से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि संस्था द्वारा उसी पयोजन हेतु आलोच्य वर्ष में किसी अन्य सरकारी विभाग आदि से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है, और न ही प्राप्त करेगी।

(4) धनराशि आहरण के उपरान्त कोषागार से धनराशि निकालने की वाउचर संख्या व दिनांक तथा संस्था को भुगतान किए जाने की तिथि से शासन शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि 31 मार्च, 2025 तक व्यय हो सके।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 7,50,000/ (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 053 लेखाशीर्षक-2070008000300 मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by
Jitendra Kumar
Date: 14-08-2024 13:13:23

जितेन्द्र कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-404(i)/2024/001-27-75-84टी0सी0-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, उ०प्र०, प्रयागराज, स्था० नि0, 2(सी) अनुभाग।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद/लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अनुदान से सम्बन्धित लेखों का नियमानुसार आडिट कराकर आडिट रिपोर्ट की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8 - महासचिव, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, औरंगाबाद, खालसा, बिजनौर रोड, पोस्ट-बिजनौर, जनपद-लखनऊ ।

9- बजट सहायक, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग।

10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद)
अनु सचिव

संख्या-405/चालीस/2022-27(75)/84 टी0सी0

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊःदिनांकः16अगस्त, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान की धनराशि की प्रथम किश्त की स्वीकृति की ग्रिड रिपोर्ट का प्रेषण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासन के पत्र संख्या-404/2024/001-27-75-84 टी0सी0-1 दिनांक 16.08.2024 का कृपया सन्दर्भ गृहण करें।

2- उक्त वित्तीय स्वीकृति के बजट से सम्बन्धित ग्रिड रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नियमानुसार धनराशि आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्रिका प्रसाद)
अनु सचिव

संख्या-405 (1)/2024/001-27(75)/84 टी0सी0-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।

(2) कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ को ग्रिड रिपोर्ट की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद)
अनु सचिव

राष्ट्रीय एकीकरण

आवंटन आदेश संख्या: 001-2024 001 27 75 84 TC-1/01 **आवंटन तिथि:** 16/08/2024
कोषागार: 43 - लखनऊ कलेक्ट्रेट **वित्तीय वर्ष:** 2024-2025
अधिकारी / जनपद का संख्या: 4217 - जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्या:** 01 - -
अनुदान संख्या: 53 - राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
लेखाशीर्षक: 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें
800 - अन्य व्यय
03 - मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: लखनऊ कलेक्ट्रेट

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	0	750000	750000
योग :	**0**	**750000**	**750000**

(चन्द्रिका प्रसाद)
अनु सचिव